आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Directorate of Higher Education (DHE)

Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshan Shulkh Shishyavrutti Scheme

उच्च शिक्षा संचालनालय के प्रोफेशनल और गैर प्रोफेशनल कोर्स के आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए ट्यूशन और परीक्षा फीस में मदद, यदि परिवार की आय 8 लाख रुपये तक हो।

क्या मिल सकता है

प्रोफेशनल कोर्स, ट्यूशन फीस, पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये तक: लड़कियों को सरकारी, गैर सरकारी अनुदानित, आंशिक अनुदानित या गैर अनुदानित और स्थायी गैर अनुदानित संस्थाओं में 100 प्रतिशत; लड़कों को सरकारी और गैर सरकारी अनुदानित में 100 प्रतिशत तथा आंशिक अनुदानित या गैर अनुदानित और स्थायी गैर अनुदानित में 50 प्रतिशत। पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से ऊपर 8 लाख रुपये तक: लड़कियों को हर जगह 100 प्रतिशत; लड़कों को हर जगह 50 प्रतिशत। परीक्षा फीस, प्रोफेशनल कोर्स: लड़कियों को 100 प्रतिशत, लड़कों को 50 प्रतिशत। गैर प्रोफेशनल कोर्स, पारिवारिक आय 8 लाख रुपये तक: लड़कियों और लड़कों दोनों को हर जगह ट्यूशन फीस का 100 प्रतिशत, और परीक्षा फीस का 100 प्रतिशत।

किसके लिए है

महाराष्ट्र के विद्यार्थी, सामान्य या SEBC श्रेणी में, उच्च शिक्षा संचालनालय के प्रोफेशनल या गैर प्रोफेशनल कोर्स में प्रवेश, पारिवारिक आय 8 लाख रुपये तक। महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा क्षेत्र के विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं।

मुख्य शर्तें

- महाराष्ट्र का अधिवास (7 अक्टूबर 2017, 31 मार्च 2018, 7 अगस्त 2018 और 11 जुलाई 2019 के शासन निर्णय); महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा के विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं
- पारिवारिक सालाना आय 8 लाख रुपये तक
- शासन निर्णय के अनुसार परिवार के केवल पहले दो बच्चे पात्र
- सामान्य श्रेणी या SEBC श्रेणी में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी पात्र हैं
- 7 अक्टूबर 2017 के शासन निर्णय में सूचीबद्ध उच्च शिक्षा संचालनालय के कोर्स
- आप कोई अन्य छात्रवृत्ति या वृत्ति न लें
- दूरस्थ शिक्षा, वर्चुअल लर्निंग या अंशकालिक कोर्स के विद्यार्थियों के लिए नहीं
- सरकार, विश्वविद्यालय, AICTE, PCI, COA, MCI, NCTE या समान संस्था से मान्य कोर्स
- कोर्स के दौरान 2 साल का अंतराल नहीं, और हर सेमेस्टर या वार्षिक परीक्षा देना ज़रूरी
- नवीनीकरण: पिछले साल छात्रवृत्ति मिली हो तो उच्च शिक्षा संचालनालय (dhepune.gov.in) की वेबसाइट पर प्रकाशित सूची के आवेदन ID से फिर आवेदन कर सकते हैं

दस्तावेज़

- अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी अधिवास प्रमाणपत्र
- अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी पिछले साल का वार्षिक आय प्रमाणपत्र
- CAP संबंधित कागज़ात (केवल B.Ed, विधि, B.P.Ed और M.P.Ed के लिए)
- अंतराल संबंधी दस्तावेज़, यदि अंतराल हो
- दो बच्चों के बारे में पारिवारिक घोषणा प्रमाणपत्र
- उपस्थिति प्रमाणपत्र
- पिछले साल की अंकतालिका

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://mahadbt.maharashtra.gov.in/SchemeData/SchemeData?str=E9DDFA703C38E51AA86467549C6E0CFFDFD61E992C8610ED352EC9DEF886C9CD
आधिकारिक आवेदन: https://mahadbt2.maharashtra.gov.in/
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/maharashtra/mahadbt-rajarshi-chhatrapati-shahu-maharaj-shikshan-shulkh-shishyavrutti-scheme-dhe/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।